बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

-:: कार्यालय आदेश ::-

का०आ०सं० 909 /
सं०सं०-*BRDS/HR/123/2020*

पटना, दिनांक 20/06/2025

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (BRDS) कार्यकारिणी समिति की 20वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में BRDS अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों / पदाधिकारियों के स्थानांतरण नीति का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

जिला स्तरीय पद यथा-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला वित्त प्रबंधक, जिला अंकेक्षण प्रबंधक, जिला सहायक वित्त प्रबंधक, जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं **प्रखण्ड स्तरीय पद** यथा- कार्यक्रम पदाधिकारी को यथासंभव प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरण किया जायेगा |

1. लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत तकनीकी सहायक का अंतर जिला स्थानांतरण उनके अनुरोध पर अथवा अनुशासनिक आधार पर किया जायेगा, परन्तु जिला स्तर से भी 03 वर्ष के उपरान्त अंतर प्रखण्ड स्थानांतरण किया जा सकेगा । किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |
2. लेखा सहायक, अंकेक्षण सहायक एवं कनीय अभियंता का यथासंभव प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त अंतर जिला स्थानांतरण किया जायेगा, परन्तु जिला स्तर से भी 03 वर्ष के उपरान्त अंतर प्रखण्ड स्थानांतरण किया जा सकेगा । किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |
3. अंतर जिला स्थानांतरण हेतु मनरेगा कर्मियों से Online 05 विकल्प प्राप्त किया जायेगा | प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों /कर्मियों को Online 05 विकल्प भरते समय प्रत्येक जिला का एक प्राथमिकता प्रखंड भरने का विकल्प रहेगा |
4. मनरेगा कर्मियों का स्थानांतरण सामान्यतया जून माह में आयुक्त, मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO), BRDS से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा | परन्तु विशेष परिस्थिति में सचिव/प्रधान सचिव-सह-अध्यक्ष, BRDS की अनुमति से अन्य मांह में भी स्थानांतरण किया जा सकेगा |
5. कार्यक्रम पदाधिकारी(PO) का मुख्यालय स्तर से ही प्रखंड में सीधे पदस्थापन किया जायेगा | शेष प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों को मुख्यालय स्तर से जिला आवंटित किया जाएगा |
6. उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
    a. प्रत्येक संवर्ग का जिलों मे संतुलन कायम करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर स्वीकृत पदों एवं प्रखण्ड/पंचायत स्तर के पदों के लिए प्रखण्डों/पंचायतों की संख्या के विरुद्ध पदस्थापित कर्मियों का प्रतिशत राज्य स्तर पर कार्यरत कर्मियों के प्रतिशत के अनुरूप रखने का प्रयास किया जायेगा ।

b. सभी पदों के लिए सर्वप्रथम दिव्यांगों को विकल्प में प्रथम प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरित जिला का निर्धारण किया जायेगा | विशेष परिस्थिति में इनको गृह जिला अथवा वर्तमान पदस्थापन जिला में भी रखा जा सकेगा | किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |

c. तदोपरान्त सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी यथा-Spouse Ground के आधार पर विकल्प में दूसरी प्राथमिकता देते हुये इनका स्थानांतरण जिला का निर्धारण किया जायेगा।

d. कनीय अभियंता/ पंचायत तकनीकी सहायक/ लेखापाल/ कम्प्यूटर ऑपरेटर/ लेखा सहायक/ अंकेक्षण सहायक/ पंचायत रोजगार सेवक के मामले में महिला कर्मियों को गृह जिला में भी पदस्थापन किया जा सकेगा | किसी भी परिस्थिति में इनका पदस्थापन गृह प्रखंड में नहीं किया जायेगा |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा | पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाये |

20/6/25

(अभिलाषा कुमारी शर्मा)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

<u>प्रतिलिपि :</u>

1. BRDS के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई.टी,BRDS को BRDS वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।